अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 2017

सं. 31/2017-केंद्रीय कर

सा.का.नि. 1145(अ).—आयुक्त, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 के साथ पठित धारा 39 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सा.का.नि. सं. 1071(अ), तारीख 28 अगस्त, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित अधिसूचना सं. 26/2017-केंद्रीय कर, तारीख 28 अगस्त, 2017 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया था या करने का लोप किया गया था, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 65 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (4) के अधीन, इनपुट सेवा वितरक द्वारा, जुलाई, 2017 मास के लिए, विवरणी देने की समय-सीमा को, 13 अक्तूबर, 2017 तक बढ़ाते हैं।

2. पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (4) के अधीन, अगस्त, 2017 मास के लिए, विवरणी देने की समय-सीमा के विस्तार को, बाद में राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा।

[फा. सं. 349/74/2017-जीएसटी (पीटी.)]

डॉ. श्रीपार्वती एस. एल., अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th September, 2017

No. 31/2017–Central Tax

G.S.R. 1145(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 39 read with section 168 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act) and in supersession of notification No. 26/2017-Central Tax, dated the 28th August, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 1071 (E), dated the 28th August, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Commissioner, hereby extends the time limit for furnishing the return by an Input Service Distributor under sub-section (4) of section 39 of the said Act read with rule 65 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, for the month of July, 2017 up to the 13th October, 2017.

2. The extension of the time limit, for furnishing the return under sub-section (4) of section 39 of the aforesaid Act, for the month of August, 2017 shall be subsequently notified in the Official Gazette.

[F. No. 349/74/2017-GST (Pt.)]

Dr. SREEPARVATHY S. L., Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.